



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 1987/आषाढ़ 8, 1909

No. 323] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 1987/ASADHA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation**

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जून, 1987

अधिसूचना

का. आ. 647(अ) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त¹ शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र दमन व दीव के प्रशासकों के नाम से जारी और निष्पादित किए जाने वाले सभी आदेश और दस्तावेज दमन व दीव प्रशासन के मुख्य सचिव, वित्त सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

[फा. सं. 11030/3/87—यू. दी. एल.]

प्रशोक माथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th June, 1987

NOTIFICATION

S.O. 647(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that all orders and other instruments made and executed in the name of the Administrator of the Union territory of Daman and Diu shall be authenticated by the signature of the Chief Secretary, Finance Secretary of the Daman and Diu Administration.

[No. U-11030|3|87-UTL]

ASHOK NATH, Jt. Secy.